

कार्यालय

प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी।

संख्या- प्राशिक्षा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखानका दिनांक: 09/08/2021

स्वाभाविक प्रवेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय/तृतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा संसद द्वारा संसद द्वारा विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र पूर्व बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की संसद द्वारा विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गति पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप में शिक्षा संस्था को प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का पता एवं नाम : 4433-FRASAD POLYTECHNIC PACH HATIA JAUNPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एआईआईटी/आईआईटी/पीआईआईटी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL)	60	60
5	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING (COMPUTER AIDED DESIGN)	60	60
7	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
8	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईआईटी/आईआईटी/पीआईआईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों को पूर्णतः मान्य करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद, एक्ट 1982 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली 2018 तथा अन्य विनियम/निर्देश एवं अधदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निधि/समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तौर बर्षीय/द्वार्षिक/पाठ्यक्रमों हेतु ₹30-150,000/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय कार्यक्रमों हेतु ₹30-450,000/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की बर्षीय पाठ्यक्रमों/दो बर्षीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त हेतु ₹30-220,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक पाठ्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में समझौता पर हस्ताक्षर द्वारा निर्धारित विनियमों वाले आदेश/निर्देश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पौंस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पौंस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पौंस की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा समिति/तथा उत्तर समिति/संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।


Principal
Prasad Polytechnic Jaunpur

- ✓ संसद में संसद प्रवेश परीक्षा परीष्ठ द्वारा अधीनस्थ छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में संसद प्रवेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद को संसद-संसाधन या निर्मित संसाधनों के अनुसंधान निदेशों एवं संसद द्वारा मुक्त बनाया जाएगा।
- ✓ संसद को एड-आर्गेंट/टीसी/सीसी/आई/आई से भागीदारी एवं अनुसंधान प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संसद उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा बनाई गई विधिनिष्पक्ष-अनुसंधान/संसाधनों/निर्देशों एवं निर्देशों, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा परीष्ठ, प्रवेश तथा प्राथमिक शिक्षा परीष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग एवं विभागों, विभागों, आदिवासी विभागों का प्रत्यक्ष करने के लिए कार्य करेगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संसदों को संसद प्रवेश परीक्षा परीष्ठ, उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु अनुसंधान प्राप्त कर प्राथमिक संसाधनों को उपयुक्त बनाना होगा अथवा उच्च प्रवेश परीक्षा/निर्देशों के माध्यम से अपना संसद स्तर पर प्रवेश प्रवेश अनुसंधान नदी प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित परीक्षाएं आवश्यक विभागों का अनुसंधान संसद आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की संसद सूचनाएं वेब संसद की वैधानिक प्रति भूमि, संसद, संसद-संसाधन, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा मुक्त आदि का प्रत्यक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ संसद को शिक्षा-परिषद हेतु उच्च शिक्षा-उपयुक्त प्रदान करने के लिए प्रवेश परीक्षा के संसद में संसद उपयुक्त संसद सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित करेगी कि संसद में प्रत्याभूति संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशों परीष्ठ के संसद उपलब्ध संसद एवं अभिप्रेत, भूमि-भवन, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि एवं सभी संसद द्वारा किसी अन्य प्राथमिक के संसद में प्रवेश किया जाता है और प्रवेश को उच्च शिक्षा-उपयुक्त होती है कि संसद उच्च शिक्षा का प्रयोग किसी अन्य प्राथमिक के लिए करने नहीं है कि संसद संसद को संसद संसद के लिए करने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संसद के संसद निर्देशों प्रदान गति संसद में भूमि, भवन, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं अन्य संसद-संसाधन एड-आर्गेंट/टीसी/आई/आई/आई/आई/आई/आई के अनुरोधों द्वारा प्रवेश नदी प्रदान जाता है कि संसद को संसद संसद का प्रयोग करने की जाएगी।
- ✓ संसद द्वारा सभी का अनुसंधान न किया जाने अपना सर्वोच्च का उच्च शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधान-संसाधन कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दस्तावेज- प्रवेश परीष्ठ संसद/2021/3538-4889

दिनांक: 09/09/2021

प्रशासक-

उत्तराखण्ड विद्यालय, PRASAD POLYTECHNIC PACH HATIA JAUNPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

